न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 181/2011 निर्णय दिनांक :– 28.11.2024

उनवानी दावा :

1. अब्दुल रहमान पुत्र अल्लाबन्दा जाति मुसलमान लोहार नि.घाड़
2. जन्नत पुत्री अल्लाबन्दा जाति मुसलमान लोहार नि.घाड़ तहसील देवली/दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

तहसीलदार जी, देवली/दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री भगवान सिंह सोलंकी
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1

वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता स्वर्गीय अल्लाबन्दा एवं उसके दो भाई क्रमशः प्यारा व छोटू थे । उक्त तीनो भाईयों के पिता भूरा था जिसका पारिवारिक सजरा निम्न से है:–

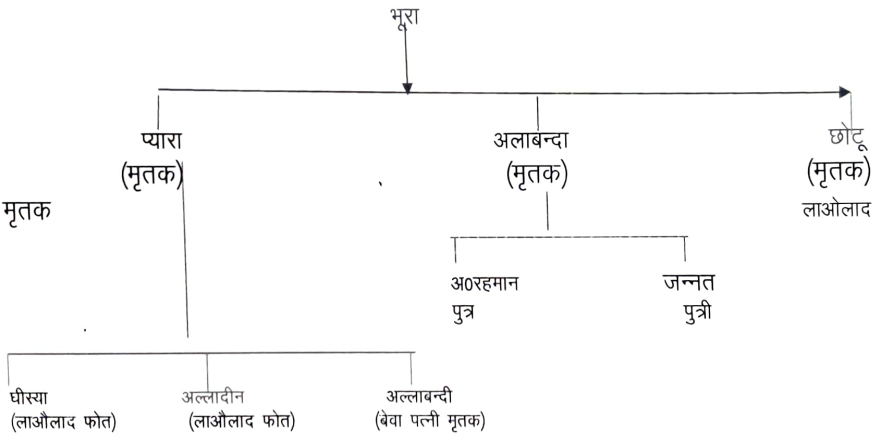

उपरोक्त सजरे के मुताबकि वादीगण स्वर्गीय भूरा के पोत्र है तथा मृतक प्यारा व छोटू के सगे भाई अल्लाबन्दा के पुत्र व पुत्री है। वादीगण के बड़े पिता (ताउ जी) के लड़के स्वर्गीय घीस्या व अल्लादीन एवं वादीगण के चाचा स्वर्गीय छोटू की मृत्यु हो चुकी है किन्तु उनकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं. 1732 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम धुंवाकला तहसील देवली/दूनी में स्थित है जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064 में है। उक्त जमाबन्दी में मृतक घीस्या की की वाल्दार अल्लाबन्दी अर्थात स्वर्गीय प्यारा की पत्नी अल्लाबन्दी का भी नाम बतौर खातेदार अंकित है। जमाबन्दी में अंकित सभी खातेदारन की मृत्यु हो चुकी है तथा जिनके कोई जायन्दा सन्तान मौजूद नहीं है। वादीगण स्वर्गीय घीस्या व अल्लादीन के भतीजा–भतीजे है तथा स्वर्गीय अल्लाबन्दी के पोत्र है एवं स्वर्गीय छोटू के भी पोत्र है एवं इस प्रकार उक्त खातेदारान के एक मात्र जीवित वारीस व उत्तराधिकारी है। वादीगण ख0नं0 1732 रकबा 0.51 है0 को मौके पर लगातार काश्त करते चले आ रहे है और इस समय भी उक्त आराजी में सरसों की फसल बो रखी है जो मौके पर मौजूद है। नियमानुसार

28.11.2024

उक्त आराजीयात का नामान्तकरण वादीगण जो वैध्य उत्तराधिकारी है उनके नाम से भरकर तस्दीक किया जाना चाहिए था किन्तु कई बार हल्का पटवारी एव नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार साहब को लिखित व मौखिक निवदेन करने के बावजूद भी अब तक भरा जाकर तस्दीक नहीं किया गया है जिससे वादीगण अपने वैध्य अधिकारी से वंचित हो रहे है तथा उक्त आराजी को अपनी खातेदारी में अब तक अंकित नहीं करवा सके है। वादीगण स्वर्गीय घीस्या, अल्लादीन, अल्लाबन्दी एवं छोटू के एक मात्र जीवित उत्तराधिकारी है तथा उक्त विवादित आराजी ख0नं0 1732 रकबा 0.51 है0 को अपनी खातेदारी में उदघोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण को उपरोक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाकर उनका नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावें तथा मृतक घीस्या, अल्लादीन, अल्लाबन्दी व छोटू का नाम विलोपित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें। वादीगण को उपरोक्त आराजीयात की खातेदारी नहीं मिलने से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहा है और ना ही उक्त आराजीयात का किसी भी प्रकार से कोई विकास ही कर पा रहे है। ऐसी स्थिति में वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।बिनाय दावा आज से लगभग 8–10 दिन पूर्व पैदा हुआ जब वादीगण द्वारा तहसीलदार जी को उक्त आराजी का नामान्तकरण भरवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया एवं उनके द्वारा उक्त आराजी से संबंधित खातेदारी न्यायालय के आदेश से प्राप्त करने हेतु कहने से आज तक लगातार उत्पन्न हो रहा है। विवादित आराजीयात ग्राम धुवाकंला तहसील देवली में स्थित होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। तहसीलदार जी देवली लैण्ड होल्डर होने आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। दावा तहत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अन्दर मियाद उचित कोर्ट फीस पर पेश है। वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावें कि वादीगण को ख0नं0 1732 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम धुवाकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावें एवं जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 में अंकित मृतक खातेदारान का नाम विलोपित किया जावें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:–पेरा नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर है। पेरा नं. 2 मुताबिक जमाबन्दी ग्राम धुवांकला 2061–64 स्वीकार है। पेरा नं. 3 वादी स्वयं सिद्ध करे। पेरा नं. 4 अस्वीकार है। वादीगण को मृतक के वारिसान का सक्षम न्यायालय से उतराधिकार प्रमाण पंत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। पेरा नं. 5 वादी से सम्बंन्धित है। पेरा नं. 6 अस्वीकार है। पेरा नं. 7 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। पेरा नं. 8 का जवाब अपेक्षित नहीं है। पेरा नं. 9 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। यह है कि मृतक के वारीसो के सम्बन्ध में सक्षम न्यायायल से उतराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर या वारीसो की सही जांच होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/राजस्व अधिकारी द्वारा विरासत के नामान्तकरण की कार्यवाही की जाती है। बिना नामान्तकरण के मृतक खातेदारान का नाम विलोपित नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण में तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है:–

1. आया वादी विविादित आराजी ख. नं. 1732 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम धुंवाकला तह. देवली/दूनी की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने की अधिकारीता रखते है?

–वादी–

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 अब्दुल रहमान पुत्र अल्लाबन्दा जाति मुसलमान लोहार नि.घाड़ तहसील देवली/दूनी जिला टोंक राज0 व पी. डब्ल्यू–2 शाहबुदीन पुत्र इस्माईल

28.11.2024

आदेश

अतः तनकी विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा में वाद उतराधिकार सम्बन्धित दस्तावेजो के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 28.11.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली